रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221419
CG-DL-E-28082020-221419

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942
No. 432] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 538(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के, नियम 12 के, उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह कि कंपनी से **प्ररूप सं. एमजीटी.9** में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वार्षिक विवरणी का उद्धरण संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसी वार्षिक विवरणी का वेब लिंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया गया है।"

[फा.सं. 01/34/2013-सीएल.V-(भाग-I)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 260(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई :-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 415(अ)	23.06.2014
2.	सा.का.नि. 537(अ)	24.07.2014
3.	सा.का.नि. 669(अ)	28.08.2015
4.	सा.का.नि. 737(अ)	24.09.2015
5.	सा.का.नि. 862(अ)	16.11.2015
6.	सा.का.नि. 908(अ)	23.09.2016
7.	सा.का.नि. 175(अ)	16.02.2018
8.	सा.का.नि. 560(अ)	13.06.2018

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 92, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a company shall not be required to attach the extract of the annual return with the Board's report in **Form No. MGT.9,** in case the web link of such annual return has been disclosed in the Board's report in accordance with sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013."

[F. No. 01/34/2013-CL-V- (Pt-I)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 415 (E)	23.06.2014
2.	G.S.R. 537 (E)	24.07.2014
3.	G.S.R. 669 (E)	28.08.2015
4.	G.S.R. 737 (E)	24.09.2015
5.	G.S.R. 862 (E)	16.11.2015
6.	G.S.R. 908 (E)	23.09.2016
7.	G.S.R. 175 (E)	16.02.2018
8.	G.S.R. 560(E)	13.06.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA